



# उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्

संयुक्त प्रवेश परीक्षा एवं प्रशिक्षण अनुसंधान विकास प्रकोष्ठ, अपर  
आमवाला देहरादून (Website : [www.ubter.in](http://www.ubter.in), [www.ubtergd.in](http://www.ubtergd.in))

## माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल

उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालयों के अन्तर्गत समूह 'घ' (Group-D) भर्ती – 2019

विज्ञापन सं० 707/उप्राशिप/उ०अ०सि०न्या०भर्ती/2019-20 दिनांक: 16/08/19-संशोधित वि० 782 दिनांक 29/08/19

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा "उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय समूह 'घ' भर्ती परीक्षा-2019" हेतु आन लाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय के अधीनस्थ सिविल न्यायालयों एवं परिवार न्यायालयों में समूह 'घ' के पदों हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया जा रहा है। परीक्षा का आयोजन उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, द्वारा मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण में किया जायेगा। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केन्द्रों/परीक्षा तिथि की सूचना उन्हें प्रवेश पत्र के माध्यम से उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद, द्वारा दी जायेगी। किसी भी अभ्यर्थी को परिषद द्वारा जारी प्रवेश पत्र के बगैर परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी। आनलाईन आवेदन सम्बन्धी विवरण निम्नानुसार है:-

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	16 अगस्त 2019 (शुक्रवार)
वेबसाइट <a href="http://www.ubter.in">www.ubter.in</a> अथवा <a href="http://www.ubtergd.in">www.ubtergd.in</a> पर आनलाईन आवेदन पत्र भरने की तिथि	17 अगस्त 2019 (शनिवार)
वेबसाइट <a href="http://www.ubter.in">www.ubter.in</a> अथवा <a href="http://www.ubtergd.in">www.ubtergd.in</a> पर आनलाईन आवेदन पत्र भरने एवं परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card द्वारा जमा एवं भरे हुए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करने की अंतिम तिथि	19 सितम्बर 2019 (बृहस्पतिवार)
लिखित परीक्षा की प्रस्तावित तिथि:- (अभ्यर्थियों की वास्तविक संख्या के अनुसार निर्धारित होगी)	13 अक्टूबर 2019 (रविवार)

01. एक अभ्यर्थी केवल एक ही जिले के लिए आवेदन कर सकता है और उसका केवल उसी जिले में चयन के लिए विचार किया जायेगा। नियुक्ति के लिए जिलावार योग्यता सूची तैयार की जायेगी। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन करने पर समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त किये जाने का अधिकार परिषद को होगा।

02. रिक्तियों की संख्या:- रजिस्ट्रार जनरल मा० उच्च न्यायालय नैनीताल के पत्र संख्या 5113/UHC/Admin.B/2019 दिनांक 25 जुलाई 2019 के माध्यम से प्राप्त अधियाचन के क्रम में उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालयों में पदों का विवरण निम्नानुसार है:-

### सिविल न्यायालय (Civil Court)

जनपद का नाम	पदनाम	श्रेणी	OP	WO	DFP	EX	PH	कुल पद
ALMORA	CLASS-IV (ORDERLY, PROCESS SERVER, KARYALAY CHAPRASI 18000-56900 (LEVEL1)	SC	4	2	0	0	0	6
		ST	1	0	0	0	0	1
		OBC	3	2	0	0	0	5
		EWS	2	1	0	0	0	3
		GEN	11	5	0	1	1	18
TOTAL								33
BAGESHWAR	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	0	0	0	0	0	0
		ST	0	0	0	0	0	0
		OBC	3	1	0	0	0	4
		EWS	2	1	0	0	0	3
		GEN	0	5	0	1	0	6
TOTAL								13
CHAMOLI	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	1	1	0	0	0	2
		ST	1	1	0	0	0	2
		OBC	4	2	0	0	0	6
		EWS	3	1	0	0	0	4
		GEN	6	3	0	0	0	9
TOTAL								23

जनपद का नाम	पदनाम	श्रेणी	OP	WO	DFE	EX	PH	कुल पद
CHAMPAWAT	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	1	0	0	0	0	1
		ST	0	0	0	0	0	0
		OBC	3	0	0	0	0	3
		EWS	2	1	0	0	0	3
		GEN	1	1	0	1	0	3
	TOTAL							
DEHRADUN	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	9	4	0	1	0	14
		ST	2	1	0	0	0	3
		OBC	6	3	0	1	0	10
		EWS	5	2	0	0	0	7
		GEN	23	12	1	2	1	39
	TOTAL							
HARIDWAR	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	0	2	0	1	1	4
		ST	2	1	0	0	0	3
		OBC	0	3	0	1	0	4
		EWS	7	3	0	0	0	10
		GEN	25	17	1	3	2	48
	TOTAL							
NAINITAL	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	6	3	0	1	0	10
		ST	1	1	0	0	0	2
		OBC	1	0	0	0	0	1
		EWS	2	1	0	0	0	3
		GEN	9	5	0	1	0	15
	TOTAL							
PAURI	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	0	0	0	0	0	0
		ST	1	1	0	0	0	2
		OBC	4	2	0	0	0	6
		EWS	4	2	0	0	0	6
		GEN	7	3	0	1	0	11
	TOTAL							
PITHORAGARH	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	4	1	0	0	0	5
		ST	0	0	0	0	0	0
		OBC	0	2	0	0	0	2
		EWS	1	1	0	0	0	2
		GEN	5	6	0	1	1	13
	TOTAL							
RUDRAPRAYAG	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	3	0	0	0	0	3
		ST	1	0	0	0	0	1
		OBC	3	2	0	0	0	5
		EWS	2	1	0	0	0	3
		GEN	11	5	0	1	0	17
	TOTAL							
TEHRI GARHWAL	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	3	1	0	0	0	4
		ST	1	0	0	0	0	1
		OBC	2	1	0	0	0	3
		EWS	3	2	0	0	0	5
		GEN	9	4	0	0	0	13
	TOTAL							
UDHAM SINGH NAGAR	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	3	1	0	0	0	4
		ST	1	0	0	0	0	1
		OBC	0	0	0	0	0	0
		EWS	6	2	0	0	0	8
		GEN	7	3	0	1	0	11
	TOTAL							
UTTARKASHI	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	1	1	0	0	0	2
		ST	1	0	0	0	0	1
		OBC	1	1	0	0	0	2
		EWS	1	0	0	0	0	1
		GEN	5	2	0	0	0	7
	TOTAL							

**परिवार न्यायालय (Family Court)–**

जनपद का नाम	पदनाम	श्रेणी	OP	WO	DFE	EX	PH	कुल पद
DEHRADUN	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	1	1	0	0	0	2
		ST	0	0	0	0	0	0
		OBC	1	0	0	0	0	1
		EWS	1	0	0	0	0	1
		GEN	3	1	0	0	0	4
TOTAL								8
NAINITAL	CLASS-IV (Messenger/Process Server, Orderly, Karyalaya Chaprasi and Nyayalaya Chaprasi 18000-56900 LEVEL1	SC	1	0	0	0	0	1
		ST	0	0	0	0	0	0
		OBC	0	0	0	0	0	0
		EWS	0	0	0	0	0	0
		GEN	0	0	0	0	0	0
TOTAL								1
UDHAM SINGH NAGAR	CLASS-IV 18000-56900 LEVEL1	SC	0	0	0	0	0	0
		ST	0	0	0	0	0	0
		OBC	0	0	0	0	0	0
		EWS	0	0	0	0	0	0
		GEN	1	0	0	0	0	1
TOTAL								1

OP-Open, GEN-General, SC- Scheduled Caste, ST- Scheduled Tribe, EWS- Economically Weaker Sections, Wo-Women, DFF- Dependent of Freedom Fighters, EX- Ex-Army Man, PH-Physically Handicapped

**विशेष नोट:–** ऑनलाईन आवेदन भरने से पूर्व अभ्यर्थी रिक्तियों का अवलोकन ध्यानपूर्वक कर लें। एक अभ्यर्थी किसी एक जनपद में ही आवेदन कर सकता है। लिखित परीक्षा एक ही तिथि को आयोजित की जायेगी। लिखित परीक्षा का आयोजन जनपदवार किया जायेगा एवं जनपदवार मेरिट तैयार कर चयन की कार्यवाही की जायेगी। जनपदवार रिक्तियों के सापेक्ष अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु आमंत्रित किया जायेगा। जिन जनपदों में सिविल न्यायालय एवं परिवार न्यायालय दोनों में रिक्तियाँ हैं ऐसे जनपदों में चयन हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी अभिलेख सत्यापन के दौरान विकल्प प्रस्तुत करेंगे।

**03. अनिवार्य अर्हता एवं शैक्षिक अर्हता:–**

क. अभ्यर्थी उत्तराखण्ड के किसी भी जनपद का अधिवास/स्थाई निवास प्रमाण पत्र धारक हो।

ख. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता कक्षा आठ (8) उत्तीर्ण होनी चाहिये।

**04. आयु:–** अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1-1-2019 को 18 वर्ष से कम और 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

अधिकतम आयु सीमा में छूट : (क) शा0सं0-1399/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005 के अनुसार उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के निवासी/अधिवासी अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी।

(ख) उत्तराखण्ड के शारीरिक रूप से विकलांग/निःशक्त अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या: 1673/XXX(2)/2010 दिनांक 10 नवम्बर 2010)।

(ग) उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के लिए उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (शासनादेश संख्या 1244/XXX(2)/2005 दिनांक 21 मई 2005)।

(घ) उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिक को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु उस पद/सेवा के निमित्त, जिसके लिये यह नियुक्ति का इच्छुक हो, विहित अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा कि वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है, को उच्चतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। (नियमावली 1977 के अनुसार)।

**नोट:–** जो अभ्यर्थी आयु में उक्त छूट का दावा करेंगे वे नियुक्ति प्राधिकारी/परिषद् को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र भी अवश्य प्रस्तुत करेंगे अन्यथा उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी। साथ ही उक्त अभ्यर्थी आवेदन-पत्र के सम्बन्धित कॉलम में अपनी श्रेणी/उप श्रेणी स्पष्ट रूप से अवश्य अंकित करें अन्यथा आयु सीमा में छूट अनुमन्य नहीं होगी।

**05. राष्ट्रीयता :-** कोई भी व्यक्ति अधीनस्थ सिविल न्यायालय के अवर अधिष्ठान में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह:-

(क) भारत का नागरिक न हो जिसका मूल निवास उत्तराखण्ड में न हो यह और कि उसने किसी अन्य स्थान का मूल निवास प्राप्त न किया हो।

(ख) भारत का वह नागरिक, जिसका मूल निवास उत्तराखण्ड न हो, परन्तु उसने उत्तराखण्ड का मूल निवास प्राप्त किया हो और वह उत्तराखण्ड में सेवा में पद पर भर्ती हेतु आवेदन की तिथि से पाँच वर्ष से कम समय से निवास न करता हो।

(ग) भारत का नागरिक न हो।

**टिप्पणी:-** ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, परीक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है परन्तु चयन होने पर नियुक्ति प्रदान किये जाने से पूर्व उसे संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।”

**06. चरित्र:-** सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो।

**टिप्पणी:-** संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

**07. वैवाहिक प्रारिथति:-** सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो।

**08. शारीरिक स्वस्थता:-** किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा न हो और वो किसी ऐसे शारीरिक दोष से युक्त न हो, जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वो वित्त हस्त-पुस्तिका खण्ड-दो, भाग-तीन के अध्याय-तीन में मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार चिकित्सा परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करे।

**09. आरक्षण:-** 1. ऊर्ध्व आरक्षण- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने से पूर्व आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर लें।

2. क्षैतिज आरक्षण- उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा भूतपूर्व सैनिकों को क्षैतिज आरक्षण उत्तराखण्ड के प्राविधानों तथा समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुसार देय होगा।

**नोट:-**

1 यदि अभ्यर्थी एक से अधिक श्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगा, का लाभ पाने का पात्र होगा।

2. आरक्षण का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी संबंधित आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विहित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र की अन्तिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा।

**10. आवेदन पत्र का स्वरूप:-** उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा समूह 'घ' के 401 पदों पर पर आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से परिषद् की वेबसाइट [www.ubter.in](http://www.ubter.in) अथवा [www.ubtergd.in](http://www.ubtergd.in) पर आनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशानुसार अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां आवेदन पत्र के प्रारम्भ में दी गयी है।

**11. ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु प्रक्रिया:-**

(01) अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाइट [www.ubter.in](http://www.ubter.in) अथवा [www.ubtergd.in](http://www.ubtergd.in) पर जाएं।

(02) ऑनलाइन आवेदन हेतु **Click Here to Apply Now** पर "Click" करें।

(03) वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले ऑनलाइन आवेदन पत्र को विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सही-सही भरें एवं वेबसाइट पर दर्शित निर्देशों का पालन करें।

(04) ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियां सही भरें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में आवेदन पत्र के अन्त में **Register Now** पर **Click** करें।

(05) वेबसाइट के निर्देशानुसार प्रविष्टियां भर लेने के उपरान्त अभ्यर्थी को उसका आवेदन पत्र समस्त विवरणों सहित दिखाई देगा, जिसमें अभ्यर्थी को अपनी स्कैन फोटोग्राफ (20 KB से कम न हो तथा 50 KB से अधिक न हो) एवं हस्ताक्षर **JPG Format** (10 KB से कम न हो तथा 20 KB से अधिक न हो) में अपलोड करने होंगे।

(06) आवेदन पत्र में प्रदर्शित विवरण में परिवर्तन हेतु अभ्यर्थी **Submit** पर **Click** करें तथा प्रविष्टियों के सही होने की दशा में **I Agree** पर **Click** करें।

(07) आवेदन पत्र भरने के पश्चात अभ्यर्थी आवेदन पत्र को डाउनलोड कर उसकी एक प्रति अपने पास सुरक्षित रख लें ताकि भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर उसे संदर्भ हेतु प्रयोग किया जा सके।

(08) अभ्यर्थी आवेदन/परीक्षा शुल्क **Net Banking/Debit Card/Credit Card** द्वारा जमा कर सकते हैं।

(9) अभ्यर्थी शुल्क जमा होने तक आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। शुल्क जमा होने पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।

(10) उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से जमा किया गया शुल्क स्वीकार्य नहीं होगा तथा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने पर ऑन-लाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।

**12. शुल्क:-** ऑनलाईन आवेदन पत्र को भरने के लिए अभ्यर्थी सर्वप्रथम ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करेगा तत्पश्चात आवेदन-पत्र भरने के उपरान्त आवेदन शुल्क का भुगतान करेगा। आवेदन शुल्क का भुगतान ऑनलाईन (**Net Banking/Debit or Credit Card**) के माध्यम से जमा कर सकता है। यदि आवेदन शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि के बाद शुल्क जमा किया जाता है तो अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पायेगा एवं जमा शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थी को वापस नहीं होगा। अभ्यर्थी जमा शुल्क की प्राप्ति रसीद/ऑनलाईन की प्रति अभ्यर्थी अपने पास अवश्य सुरक्षित रख लें।

**अभ्यर्थी को निम्नलिखित आवेदन/परीक्षा शुल्क जमा करना अनिवार्य है:-**

क्र०सं०	श्रेणी	शुल्क
1	अनारक्षित (सामान्य)/ओबीसी श्रेणी के अभ्यर्थी	₹600/- मात्र GST सहित
2	अनुसूचित जाति/ जनजाति /अर्थिक रूप से कमजोर अभ्यर्थी	₹400/- मात्र GST सहित
3	विकलांग अभ्यर्थी	कोई शुल्क नहीं। विकलांगता प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य होगा

**Bank Transaction Fee** अभ्यर्थी द्वारा अलग से देय होगी।

**13. शारीरिक स्वस्थता:** किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों को दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने के पूर्व अभ्यर्थी से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-एक भाग-दो के अध्याय-तीन में समाविष्ट मूल नियम-10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

**14. चयन की प्रक्रिया:-** चयन के लिये एक वस्तुनिष्ठ (Objective Type Questions with Multiple Choices) प्रकार की 100 अंकों की एक लिखित परीक्षा होगी, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य हिन्दी, सामान्य विज्ञान, गणित एवं उत्तराखण्ड आधारित ज्ञान का 100 प्रश्नों का प्रश्न पत्र होगा। लिखित परीक्षा 2 घंटे की होगी। प्रश्नपत्र का स्तर जूनियर हाईस्कूल (आठवीं) होगा।

(i) लिखित परीक्षा प्रश्न पत्र मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का एक अंक देय होगा। गलत उत्तर का कोई अंक नहीं काटा जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट, परीक्षा के पश्चात् अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iii) लिखित परीक्षा की उत्तर शीट (Answer Sheet) कार्बन प्रति के साथ होगी द्वितीय प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जायेगी।

(iv) ओ0एम0आर0 शीट में व्हाइटनर का उपयोग या विकल्पों को खुरचने/छेड़छाड़ किया जाना वर्जित होगा।

(v) मेरिट सूची में सम्मिलित होने के लिये सामान्य/आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों को 45 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे।

टिप्पणी:- यदि लिखित परीक्षा में दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों ने बराबर-बराबर अंक प्राप्त किये हों तो आयु में ज्येष्ठ अभ्यर्थी को चयन सूची में ऊपर रखा जायेगा।

## 15. महत्वपूर्ण निर्देश :-

(01) परिषद् द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पद की उत्तराखण्ड अधीनस्थ सिविल न्यायालय सेवानियमावली 1955 एवं उत्तराखण्ड संशोधन नियमावली 2019 में उल्लिखित सुसंगत प्राविधानों के अधीन एवं समय-समय पर परिषद् द्वारा लिये गये निर्णय इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूर्ण करने पर ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें। जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाए जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के संबंध में परिषद् का निर्णय अंतिम होगा।

(03) परिषद् अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(04) जो अभ्यर्थी हाईस्कूल उत्तीर्ण/अनुत्तीर्ण होंगे उनकी जन्मतिथि की गणना हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंकतालिका के अनुसार ही मान्य होगी। अभ्यर्थी जो मात्र कक्षा 8 उत्तीर्ण हैं, ऐसे अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के दौरान जन्मतिथि की पुष्टि हेतु मान्य अभिलेख प्रस्तुत करने होंगे।

(05) यदि कोई अभ्यर्थी अपनी श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र निरस्त/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(06) प्रश्नगत परीक्षा हेतु शुल्क केवल **Net Banking/Debit or Credit Card** के माध्यम से ही स्वीकार्य होगा। किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(07) लिखित परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं वेबसाइट पर प्रसारित की जाएगी।

(08) वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पत्रों से संबंधित उत्तर कुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त परिषद् की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 15 दिनों के भीतर प्रश्नपत्र एवं संबंधित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस अवधि के उपरान्त प्राप्त प्रत्यावेदनों पर परिषद् द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा।

(09) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उन पर उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पेन अथवा किसी भी प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी भी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार के प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं क्योंकि उनकी सुरक्षा का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता है।

- (10) अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धित:— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।
- (11) परीक्षा भवन में आचरण:— कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करें तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था ना फैलाए तथा परीक्षा संचालन हेतु परिषद् द्वारा तैनात स्टाफ को परेशान ना करें, ऐसी किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा की समाप्ति के उपरान्त उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।
- (12) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में तथा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।
- (13) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:— अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए। परीक्षा कक्ष में प्रतिबंधित सामग्री ले जाने, अनुचित साधनों के प्रयोग करने, अनुचित आचरण करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त करने के साथ ही उन्हें परिषद् की परीक्षाओं के लिए प्रतिबन्धित करने व उनके विरुद्ध अन्य विधिक कार्यवाही भी की जायगी।
- (14) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि परिषद् को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।
- (15) परीक्षा केन्द्र निर्धारण हेतु परिषद् का निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
- (16) आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी पद के लिए निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, स्थाई निवास की अनिवार्यता, आरक्षण की श्रेणियां व उपश्रेणियां आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि आनलाईन फार्म में सनिरीक्षा कठिन होती है। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर अन्तिम चयन के बाद भी अभ्यर्थन निरस्त हो सकता है। साईबर कैफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढ़ें। शुल्क जमा होने तक वे आवेदन पत्र में संशोधन कर सकते हैं। शुल्क जमा होने पर किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। आवेदन पत्र जमा करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रविष्टि को संशोधित नहीं किया जायेगा।
- (17) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है।
- (18) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।
- (19) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में परिषद् से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।
- (20) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनका वैध प्रमाण-पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को परिषद् की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम 03 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।
- (21) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियां यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (22) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। परिषद् में ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन पत्र में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(23) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।

(24) एक अभ्यर्थी केवल एक ही जिले के लिए आवेदन कर सकता है और उसका केवल उसी जिले में चयन के लिए विचार किया जायेगा। नियुक्ति के लिए जिलावार योग्यता सूची तैयार की जायेगी। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक जिले हेतु आवेदन करने पर समस्त आवेदन पत्रों को निरस्त किये जाने का अधिकार परिषद को होगा।

सचिव